ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या-10/2026/I/1457219/2026-02-5099/45/2026

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश,शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- उ0प्र0 संवर्ग के शेष समस्त आई0ए0एस0 अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 09.09.2026

विषयः- मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय/व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय में प्रोटोकॉल (Protocal) का पालन/मा0 न्यायालय की गरिमा बनाये रखने (Maintaining the decorum) के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, (न्याय विभाग) के पत्र संख्या-सा0-49/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026, दिनांक 20.08.2026 (प्रति संलग्न) एवं तत्संलग्न प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र No. 16-874/A दिनांक 11.08.2026 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय/व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय में प्रोटोकॉल का पालन/मा0 न्यायालय की गरिमा बनाये रखने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

(1)- मा0 न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के समय जो अधिकारी शारीरिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों, वे अनिवार्यतः निर्धारित ड्रेस कोड (dress code) में हों।

(2)- शपथ पत्र का सत्यापन कराते समय, शपथ पत्र पर चिपकाया गया फोटोग्राफ हाल का एवं उचित ड्रेस में हो। फोटोग्राफ आधुनिक एवं भड़कीले कपड़ों (fancy or flashy clothing), खुले बाल (loose hair) या रंगीन चश्मे (colored glasses/sunglasses) में न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)- शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी का हस्ताक्षर तथा/अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा प्रयुक्त मुहर काले, लाल, हरे अथवा अन्य किसी रंग के न हो। शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा मात्र नीले रंग (blue) की स्याही का प्रयोग हो।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) के उक्त पत्र दिनांक 20.08.2026 एवं तत्संलग्न प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पत्र दिनांक 11.08.2026 में की गई अपेक्षा/वर्णित निर्देशों का संज्ञान लेने का कष्ट करें व उक्त दिशा-निर्देशों का कृपया अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) को उनके पत्र दिनांक 20.08.2026 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उक्त संलग्नकों सहित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, (समस्त विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग), उ0प्र0 शासन।
6. समस्त अनुभाग, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. उक्त निर्देश शासनादेश की बेवसाईट (**shasnadesh.up.gov.in**) पर अपलोड कराये जाने हेतु सहा0 समीक्षा अधिकारी को प्रेषित।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट
संख्या:I/1457219/2026

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- उ0प्र0 संवर्ग के शेष समस्त आई0ए0एस0 अधिकारी(नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक:09-09-2026

विषयः मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय/व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय में प्रोटोकॉल (protocol) का पालन/मा0 न्यायालय की गरिमा बनाये रखने (Maintaining the decorum) के सम्बन्ध में।

महोदय /महोदया,

कृपया प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) के पत्र संख्या-सा0-49/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026 दिनांक 20.08.2026 **(प्रति संलग्न)** एवं तत्संलग्न प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र No. 16-874/A दिनांक-11.08.2026 **(प्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय/ व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालय में प्रोटोकॉल का पालन/ मा0 न्यायालय की गरिमा बनाये रखने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

(1)- मा0 न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के समय जो अधिकारी शारीरिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों, वे अनिवार्यतः निर्धारित ड्रेस कोड (dress code) *में हों।*

(2)- शपथ पत्र का सत्यापन कराते समय, शपथ पत्र पर चिपकाया गया फोटोग्राफ हाल का एवं उचित ड्रेस में हो। फोटोग्राफ आधुनिक एवं भड़कीले कपड़ों (fancy or flashy clothing), खुले बाल (loose hair) या रंगीन चश्मे (colored glasses/ sunglasses) में न हो।

(3)- शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी का हस्ताक्षर तथा/अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा प्रयुक्त मुहर काले, लाले, हरे अथवा अन्य किसी रंग के न हो। शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा मात्र नीले रंग ***(blue)*** *की स्याही का प्रयोग हो।*

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) के उक्त पत्र दिनांक 20.08.2026 एवं तत्संलग्न

प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पत्र दिनांक-11.08.2026 में की गई अपेक्षा/वर्णित निर्देशों का संज्ञान लेने का कष्ट करें व उक्त दिशा-निर्देशों का कृपया अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
VIJAY KUMAR
Date: 09-09-2026 21:04:31

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) को उनके पत्र दिनांक 20.08.2026 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता-III, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उक्त संलग्नकों सहित।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव (समस्त विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग), उ0प्र0 शासन।
6. समस्त अनुभाग, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. उक्त निर्देश शासनादेश की बेवसाईट (**shasnadesh.up.gov.in**) पर अपलोड कराये जाने हेतु, सहा0 समीक्षा अधिकारी को प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

2026 - 437/दो-8-2026

महत्वपूर्ण
संख्या- सा0-49 /सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

अनुभाग प्रकोष्ठ (न्याय विभाग) लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय- मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते समय/व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा न्यायालय में प्रोटोकाल का पालन/न्यायालय की गरिमा बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11-08-2026 (छायाप्रति संलग्न)का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रायः देखा गया है कि जो अधिकारी मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने अथवा अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अपेक्षित होते हैं, वे न तो निर्धारित प्रोटोकाल का पालन करते हैं और न ही न्यायालय की गरिमा की मर्यादा बनाये रखते हैं।

3- इस सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 11-08-2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने समय/ व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करते समय अधिकारियों द्वारा न्यायालय में प्रोटोकाल का पालन/न्यायालय की गरिमा बनाये रखने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

1- मा0 न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के समय जो अधिकारी शारीरिक रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों, वे अनिवार्यतः निर्धारित ड्रेस कोड में हों।

2- शपथ पत्र का सत्यापन कराते समय, शपथ पत्र पर चिपकाया गया फोटोग्राफ हाल का एवं उचित ड्रेस में हो। फोटोग्राफ आधुनिक एवं भड़कीले कपड़ों, खुले बाल या रंगीन चश्मे में न हो।

3- शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी का हस्ताक्षर तथा/अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा प्रयुक्त मुहर काले, लाल, हरे अथवा अन्य किसी रंग के न हो। शपथ पत्र देने वाले अधिकारी अथवा शपथ आयुक्त/नोटरी द्वारा मात्र नीले रंग की स्याही का प्रयोग हो।

4- उक्त दिशा निर्देशों को मंडल आयुक्त/पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के अनुपालनार्थ अपने स्तर से उन्हें निर्देशित करें।

VS(V)
28/8/26
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उ0प्र0 शासन।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

2177/USA/2026
US(RJ)
25-08-2026
(विजय कुमार)
विशेष सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- सा0- 49 (1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त शपथ आयुक्त, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियाँ), उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त नोटरी को उक्त दिशा निर्देशों से अवगत करायें।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकास नागर)
विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी।

N.B 25.08.26
नियुक्ति अनु0-5
27/08/2026
श्री राजेश
27/08/2026

ई०-1373/दो-3-2026 सं०-432/दो-8-2026 कोर्ट केस/तत्काल

NO.32214/MS/WRIT/2026

MANOJ KUMAR SINGH
CHIEF STANDING COUNSEL-III
HIGH COURT, ALLAHABAD

Residence :- Deepshikha Apartment, Dev Prayagam Awas Yojana, adjacent to Jhalwa Power House, Prayagraj-211017
(0532) 2423850, 2422773
csc3manojkumarsingh@gmail.com

ACS, Home
Pri. Secy. Appointment
Pri. Secy. Personnel
Pri. Secy. Law / CC

URGENT/COURT CASE/EMAIL

No. 10-874/A

Dated: 11.08.2026

To,

1. The Chief Secretary,
Government of U.P., Lucknow.

2. The Principal Secretary (Law)/Legal Remembrancer,
Government of U.P., Lucknow.

11.08.2026 (रमेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
उ०प्र० शासन।

Sub.: Regarding issuing circular for following protocol/maintaining decorum of the Hon'ble Court by the authorities while appearing before the Hon'ble Courts/filing affidavits.

Sir,

In most of the cases due to non-compliance of the directions issued by the Hon'ble Court or otherwise, orders are passed by the Courts directing the authorities of the State for their personal appearance before the Hon'ble Court or filing their personal affidavits. Often having been seen that the authorities who are required to appear before the Hon'ble Court or are filing their personal affidavits, are neither following the protocol nor maintaining the decorum of the Court. Considering this immense situation, the Court has called the undersigned and asked to request the State Government to frame guidelines to be followed by the authorities required to remain personally present before the Court or file personal affidavit and issue circular in this regard. The guidelines, which are required to be issued is to the following effect: -

4725/pers/8/26
V.S.(VP)
12/8/26
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उ०प्र० शासन।

1. The authorities, who are to remain personally present before the Court, physically or virtually, should must in the dress code.

2. While swearing the affidavit, the photograph to be affixed on the affidavit should be recent coloured and in proper dress. The photograph should not feature fancy or flashy clothing, loose hair, or colored glasses/sunglasses.

1861/V.S.VP/26
12/8/26
(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव
(नियुक्ति विभाग)
उत्तर प्रदेश शासन।

3. The signature put by the officer giving the affidavit or the Oath Commissioner/Notary and/or the seal used by the Oath Commissioner/Notary should not be in black, red, green or other colours. The ink used by the officer giving the affidavit as well as the Oath Commissioner/Notary, should be only of blue.

5.10.8
(डॉ० [illegible])
उप सचिव
नियुक्ति विभाग
उ०प्र० शासन।

14/08/2026
नियुक्ति अनु०-1-8

14/08/2026

MANOJ KUMAR SINGH
CHIEF STANDING COUNSEL-III
HIGH COURT, ALLAHABAD

Residence :- Deepshikha Apartment, Dev Prayagam Awas Yojana, adjacent to Jhulwa Power House, Prayagraj-211017
(0532) 2423850, 2422773
csc3manojkumarsingh@gmail.com

It is, therefore, requested to issue circular to the above effect amongst all the Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries/ Divisional Commissioners/Commissioners of Police/District Magistrates of the State to follow the protocol/maintain decorum of the Hon'ble Court while appearing before the Hon'ble Courts either virtually or physically/filing affidavits.

Thanking You

Yours sincerely

Manoj Kumar Singh

(Manoj Kumar Singh)
Chief Standing Counsel-III/
Incharge Chief Standing Counsel
High Court, Allahabad

Gmail

computer cell <computercell978@gmail.com>

Fwd: Regarding issuing circular for following protocol , maintaining decorum

1 message

Tue, Aug 11, 2026 at 4:48 PM

Chief Secretary Uttar Pradesh <csup@nic.in>
To: Udai Pratap Singh <dep_law@up.gov.in>
Cc: "Computer Cell, Chief Secretary GoUP" <computercell978@gmail.com>

---------- Forwarded message ----------
From: CSC High Court, Allahabad <instructioncsc@gmail.com>
To: <csup@nic.in>, <pslawupgov@gmail.com>, <nodalofficer.emanu.law@gmail.com>, <indrajeet1305@yahoo.com>, <dmluc@nic.in>
Date: Tue, 11 Aug 2026 16:46:20 +0530
Subject: Regarding issuing circular for following protocol , maintaining decorum
---------- Forwarded message ----------

-PFA

Chief Standing Counsel
High Court, Allahabad
Office-Fax 0532-2422773, 2423850

With Regards,

O/o Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
101, B-Block, First Floor,
Lok Bhawan, Lucknow-226001
0522-2289212

Regarding issuing circular for following protocol , maintaining decorum.PDF
301K